रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, सोमवार, मई 16, 2011/वैशाख 26, 1933

No. 254] NEW DELHI, MONDAY, MAY 16, 2011/VAISAKHA 26, 1933

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2011

सा.का.नि. 387(अ).—सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के खंड 33 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **परिभाषाएं.**—(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008 अभिप्रेत है;

(ख) "फार्म" से इन नियमों से संलग्न फार्म अभिप्रेत है।

(ग) "नोडल अधिकारी" से इन नियमों के नियम 3 के अंतर्गत नोडल अधिकारी के रूप में मनोनीत अधिकारी अभिप्रेत है।

(घ) "निजी सूचना" से किसी सूचनादाता के संबंध में ऐसी कोई सूचना, अभिप्रेत है, चाहे वह सत्य है या नहीं, और चाहे वह तात्विक रूप से अभिलिखित की गई है या नहीं है और जिसकी पहचान का अभिनिश्चियन इस प्रकार की सूचना से उपयुक्त तरीके से किया जा सकेगा ।

(ङ) "संदर्भ अवधि" से वह अभिप्रेत है जिस अवधि के दौरान आंकड़े संग्रहीत किए गए और यह परिगणना इकाइयों की विशेषताओं को भी दर्शाती है ।

(च) किसी संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में "राज्य सरकार" से उसका प्रशासन अभिप्रेत है; एवं

(छ) "आउटसोर्सिंग" से इन नियमों के प्रयोजन के लिए निजी सेवा प्रदाता की सेवाओं का प्रयोग अभिप्रेत है ।

(2) इसमें प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अर्थ उनका अधिनियम में हैं ।

3. **नोडल अधिकारी.**—(1) केंद्रीय सरकार, सांख्यिकी मामलों से जुड़े नोडल विभाग में भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से अन्यून अधिकारी को, इन नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्तव्यों के निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

(2) प्रत्येक राज्य सरकार, सांख्यिकी मामलों से जुड़े नोडल विभाग में राज्य सरकार के उप सचिव स्तर की पंक्ति से अन्यून अधिकारी को, इन नियमों के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करने एवं कर्त्तव्यों के निष्पादन के लिए नोडल अधिकारी के रूप में पदाभिहित करेगी ।

4. नोडल अधिकारी की शक्तियां एवं कर्त्तव्य — (1) नियम 3 के उप नियम (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया गया नोडल अधिकारी —

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों के रजिस्टर का अनुरक्षण एवं अद्यतन करेगा;

(ख) समय-समय पर केंद्रीय सरकार के विभिन्न विभागों और राज्यों के नोडल अधिकारियों से इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी की उपलब्धता से संबंधित सूचना, चाहे वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार संग्रहीत की गई है या नहीं, को प्राप्त करेगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा;

(ग) केंद्रीय सरकार के विभागों और राज्यों में नोडल अधिकारियों को प्रशासनिक अभिलेखों की सांख्यिकीय संभावना में सुधार लाने के उपायों पर परामर्श देगा ताकि ऐसे प्रशासनिक अभिलेखों में अंतर्विष्ट या तात्पर्यित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए पृथक सर्वेक्षणों से बचा जा सके ।

(घ) केंद्रीय सरकार और राज्यों के विभिन्न विभागों के बीच सांख्यिकी सूचना को बांटने का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ताकि सांख्यिकी संग्रहण के कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उनमें विवादों का अथवा मतैक्य यदि कोई हो तो, का समाधान किया जा सके और

(ङ) कार्यकरण पर केंद्रीय सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।

(2) नियम 3 के उप नियम (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित किया गया नोडल अधिकारी —

(क) समय-समय पर राज्य में नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों के रजिस्टर अनुरक्षित एवं अद्यतन करेगा;

(ख) समय-समय पर विभिन्न सरकारी विभागों एवं राज्य में स्थानीय सरकारों से इकाई स्तर के आंकड़ों सहित सांख्यिकी की उपलब्धता से संबंधित सूचना, चाहे वह अधिनियम के उपबंधों के अधीन संग्रहीत की गई है या नहीं, को अभिप्राप्त करेगा एवं उसका अनुरक्षण करेगा ।

(ग) राज्य सरकार और राज्य में स्थानीय शासनों के प्रशासनिक अभिलेखों की संभावना में सुधार लाने के लिए किए जाने वाले उपायों का परामर्श देना ताकि ऐसे प्रशासनिक

अभिलेखों में अंतर्विष्ट या तात्पर्यित सांख्यिकी के संग्रहण के लिए पृथक सर्वेक्षणों से बचा जा सके ।

(घ) राज्य सरकार के विभागों और स्थानीय शासनों के बीच सांख्यिकीय सूचना को बांटने का संवर्धन करने के लिए समय-समय पर अनुदेश जारी करना ताकि सांख्यिकी संग्रहण के कार्यक्रमों की अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके और उनमें विवादों का अथवा मतैक्य यदि कोई हो तो, का समाधान किया जा सके;

(ङ.) सरकारी विभागों तथा राज्य में स्थानीय शासनों से इस अधिनियम के कार्यकरण पर यथापेक्षित रिपोर्टें प्राप्त करना, तथा राज्य में इस अधिनियम के कार्यकरण संबंधी वार्षिक रिपोर्टें केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी को भेजना ।

5. आंकड़ों के संग्रहण पर निदेशः- (1) राज्य सरकार का कोई विभाग अथवा राज्य में कोई स्थानीय शासन अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भौगोलिक यूनिट में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश देने से पहले, राज्य में नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

(2) केंद्रीय सरकार का कोई विभाग अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किसी भौगोलिक यूनिट में किसी निर्दिष्ट अवधि के लिए किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश देने से पहले, केंद्रीय सरकार के नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श करेगा ताकि सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

(3) नोडल अधिकारी किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर उप नियम (1) अथवा उप नियम (2) के अधीन, यथास्थिति किसी अनुरोध के प्राप्त होने पर एक माह की अवधि के भीतर, संबंधित कार्यालय को यथास्थिति ऐसी सलाह देगा जिससे सांख्यिकी के संग्रहण में अनावश्यक पुनरावृत्ति से बचा जा सके ।

(4) समुचित सरकार, यथास्थिति उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन सलाह प्राप्त होने पर, ऐसी सलाह से असहमति से सभी मामलों की संसूचना नोडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 3 के अधीन अधिसूचना जारी करने से पहले कम से कम 15 दिन पूर्व देगी ।

(5) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में निम्नलिखित विशिष्टियां अंतर्विष्ट होंगी; अर्थात्

(क) सांख्यिकी संग्रहण का विषय एवं प्रयोजन;
(ख) सांख्यिकी संग्रहण हेतु भौगोलिक क्षेत्र;
(ग) आंकड़ा संग्रहण की प्रक्रिया;
(घ) सूचनादाताओं की प्रकृति जिनसे आंकड़े संग्रहीत किए जाने हैं;
(ङ.) अवधि जिसके दौरान सांख्यिकी का संग्रहण पूरा किया जाना है;
(च) निर्दिष्ट अवधि;

(छ) संग्रहीत की जाने वाली सूचना का प्रकार;

(ज) भाषा जिसमें सूचनादाता द्वारा सूचना दी जानी है;

(झ) सूचनादाता की बाध्यता;

( ) निरीक्षण किए जाने वाले कारोबार संबंधी अभिलेखों एवं अन्य अभिलेखों का प्रकार; और

(ट) निरीक्षण की रीति ।

(6) उप नियम (5) में संदर्भित प्रत्येक अधिसूचना की प्रति केंद्रीय सरकार के नोडल अधिकारी एवं संबंधित राज्य सरकार के नोडल अधिकारी को अग्रेषित की जाए ।

6. सूचना अनुसूचियां विहित करने के सिद्धांत -- किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण हेतु कोई सूचना अनुसूची विहित करने के संबंध में, यथास्थिति समुचित सरकार अथवा सांख्यिकीय अधिकारी, स्वयं करेगा कि --

(i) उसे अधिनियम की धारा 3 के परंतुक के अधीन दिए गए निर्बधंनों के अधीन रहते हुए उस विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण का निदेश देने का प्राधिकार है;

(ii) उसने सूचना संग्रहीत की जाने वाली मदों को अंतिम रूप देने के प्रयोजनार्थ, अन्य सरकारी विभागों की आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए नोडल अधिकारी से विचार-विमर्श किया है;

(iii) निदेश देकर सूचनादाता पर अत्याधिक मांग नहीं डाली जाएगी और जहां आवश्यक हो इस प्रयोजन के लिए सूचना अनुसूची की क्षेत्र जांच कर ली गई हो;

(iv) किसी विषय पर सांख्यिकी के संग्रहण के लिए विनिर्निष्ट सूचना अनुसूचियों में रेंज और ब्यौरे आंत्यांतिक अपेक्षा तक सीमित रखे जाएंगे;

(v) जहां तक संभव हो रिपोर्ट देने का दायित्व समुचित नमूनाकरण के माध्यम से सूचनादाताओं पर डाला जाएगा;

(vi) कारोबार से संबंधित मांगी गई सूचना, उनके खातों से सहज ही उपलब्ध होनी चाहिए तथा यथासंभव इलेक्ट्रोनिक साधन उपयोग किए जाने चाहिएं ताकि उनके संग्रहण को सुगम बनाया जा सके ।

(vii) जब किसी सूचनादाता के पास यथार्थ ब्यौरे सहज में उपलब्ध नहीं हैं तो मांगी गई सूचना की किसी मद पर बेहतर आकलनों एवं मोटे अनुमानों को स्वीकार किया जाएगा;

(viii) किसी सूचनादाता से सांख्यिकी संग्रहण के लिए उपयोग की गई प्रत्येक सूचना अनुसूची में, जहां आवश्यक है, उन विशिष्टियों के लिए प्रावधान जिन पर सूचना सूचनादाता के विवेक पर प्रस्तुत की जा सकती है;

(ix) विशिष्टियां भरने तथा सांख्यिकी के संग्रहण में लगे संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर संलग्न करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में प्रावधान किया गया है ।

(x) अधिनियम के अंतर्गत उनसे सांख्यिकी का संग्रहण करने से पहले सूचनादाता को सामान्य सूचना के लिए, उनसे एकत्र की गई किसी सूचना को प्रकट करने की अपनी योजना, यदि कोई है, को प्रत्येक सूचना अनुसूची में सूचित कर जो समुचित सरकार की राय में किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अथवा सार्वजनिक दस्तावेज़ों के रूप में अथवा उनको आबंटित किसी वर्गीकरण, यदि कोई है, तथा संलग्न लोगों की संख्या दोनों के साथ सूचनादाता के नामों और पतों की तालिका अथवा सूची के रूप में उपलब्ध है ।

(xi) प्रत्येक सूचनादाता से, जिनकी खंड (X) अधीन आनेवाली सूचना से भिन्न सूचना के प्रकटन का वह प्रस्ताव करता है कि लिखित स्वीकृति अभिप्राप्त करने के लिए प्रत्येक सूचना अनुसूची में उपबंध करना ।

7. **सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति**-(1) अधिनियम की धारा 4 के अधीन सांख्यिकी अधिकारी की नियुक्ति करने वाली प्रत्येक अधिसूचना में निम्नलिखित विवरण अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात्

(क) आंकड़ों के संग्रहण के लिए प्रत्येक भौगोलिक इकाई हेतु सांख्यिकी अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी का नाम, पदनाम और पता;

(ख) आंकड़ों के संग्रहण से जुड़े किसी अभिकरण अथवा कम्पनी अथवा संगठन अथवा संगम या व्यक्ति के ब्यौरे, तथा कार्य से संबंधित निबंधन और शर्तें तथा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित रक्षोपाय;

(ग) अपेक्षित प्रारूप और विशिष्टियां अथवा अंतराल, जिसमें कोई सांख्यिकी अधिकारी, जिसको, सूचनादाताओं द्वारा दी गई सांख्यिकीय सूचना प्रस्तुत की जाएगी; तथा

(घ) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (4) और उप धारा (6) के अधीन किसी सांख्यिकी अधिकारी को प्रत्यायोजित शक्तियां, यदि कोई हों ।

(2) प्रत्येक सांख्यिकी अधिकारी अपनी नियुक्ति पर तुरंत समुचित सरकार को प्रपत्र-I में एक वचन-बंध प्रस्तुत करेगा ।

8. **सांख्यिकी अधिकारियों का रजिस्ट्रीकरणः**- समुचित सरकार, प्रारूप-II में सांख्यिकी अधिकारियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल और भौगोलिक क्षेत्रों जिनके लिए उनकी नियुक्ति की गई है, के संबंध में सांख्यिकीय अधिकारियों का एक अभिलेख रखेगी ।

9. **सांख्यिकी अधिकारी की शक्तियां और कृत्यः**- किसी भौगोलिक इकाई में किसी विषय के संबंध में आंकड़ों के संग्रहण के प्रयोजनों के लिए नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारी के निम्नलिखित कृत्य होंगेः-

(i) अनुदान प्राप्त करना और आंकड़ों के संग्रहण का पर्यवेक्षण करना;

(ii) आंकड़ों के संग्रहण के लिए अभिकरणों की नियुक्ति करना या उन्हें इस कार्य में लगाना;

(iii) आंकड़ों के संग्रहण में लगे व्यक्तियों से प्रारूप -I में वचन-बंध प्राप्त करना तथा उन्हें समुचित सरकार अथवा सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए अधिकृत अधिकारी को अग्रेषित करना;

(iv) सुसंगत सूचना अनुसूचियों तथा आंकड़ों के संग्रहण की रीति अथवा रीतियों को तैयार करना या करवाना;

(v) अपनी अधिकारिता के अधीन आंकड़ों के संग्रहण के कार्य को ऐसे विभिन्न व्यक्तियों और अभिकरणों को आबंटित करना या करवाना, जो इस प्रयोजन के लिए कार्यरत हैं;

(vi) सभी सुसंगत सामग्री को कार्यरत अभिकरणों को वितरित करना और उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, ताकि आंकड़ों के संग्रहण को सुकर बनाया जा सके;

(vii) समुचित समय पर आंकड़ों के संग्रहण के लिए आवश्यक प्रचार-प्रसार की व्यवस्था करवाना;

(viii) आंकड़ों के संग्रहण की अवधि के दौरान सभी अभिकरणों के कार्य में समन्वय करना तथा आंकड़ों के संग्रहण के सूचारू संचालन हेतु स्थानीय प्राधिकारियों के साथ सम्पर्क रखना;

(ix) जहां आवश्यक हो, सूचनादाताओं को, सूचना प्रस्तुत करने के लिए, अपने हस्ताक्षर से सूचना जारी करना तथा ऐसे सूचनादाताओं से प्राप्त हुई पावतियों को सुरक्षित ढंग से रखवाना;

(x) यदि सांख्यिकीय सर्वेक्षणों में विभिन्न निर्दिष्ट अवधियों सहित सूचनादाताओं का समान समूह शामिल है, तो प्रत्येक सूचनादाता को केवल एक सूचना जारी करने के लिए कदम उठाना जिसमें प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना और वे निर्दिष्ट अवधियां दर्शाई गई हों, जिनके लिए सूचना अपेक्षित है;

(xi) स्वयं द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों को, आंकड़ों के संग्रहण के लिए किसी सूचनादाता के परिसर में प्रवेश हेतु लिखित स्वीकृति देना तथा उन्हें स्वयं द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र प्रदान करना;

(xii) मांगी गई सूचना को प्रस्तुत करने के लिए यदि सूचनादाताओं को किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो उन्हें ऐसी सहायता उपलब्ध कराना;

(xiii) किसी सूचनादाता को एकत्रित सूचना तक उस सूचनादाता की पहुंच संभव बनाना ताकि किसी अशुद्ध सूचना की स्थिति में, सुधार अथवा संशोधन के विषय में सूचित करना सुकर हो सके;

(xiv) किसी सूचनादाता द्वारा प्रस्तुत सूचना का सत्यापन कारित करना;

(xv) शिकायतों के आधार पर अथवा अन्यथा गलती करने वाले व्यक्तियों और अन्य के विरुद्ध इस अधिनियम के उपबंधों और इन नियमों के अनुसार कार्रवाई करना;

(xvi) आंकड़ों के संग्रहण में लगे हुए अभिकरणों से सभी सूचना अनुसूचियां प्राप्त करना, आंकड़ों के संग्रहण में लगे हुए सभी व्यक्तियों से वचन-बंध अभिप्राप्त करना, उनके कार्य के पूरा होने पर अन्य सभी सुसंगत अभिलेख और दस्तावेज अभिप्राप्त करना तथा उस निमित्त प्रमाण पत्र के साथ उन्हें समुचित सरकार अथवा उस सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी को अग्रेषित करना;

(xvii) ऐसे अन्य कार्यों को करना जो आंकड़ों के सफल संग्रहण के लिए आवश्यक हों; और

(xviii) ऐसी आवधिक रिपोर्टों को प्रस्तुत करना जो समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं ।

10. **आंकड़ों के संग्रहण में सहायताः-** (i) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा स्थानीय शासनों का प्रत्येक विभाग, यथा अपेक्षित समय और प्रारूप में, सूचनादाताओं की सूची और उनके पास उपलब्ध ऐसी अन्य सूचना जो इन नियमों के अधीन किसी सांख्यिकी सर्वेक्षण को आयोजित करने के लिए सुसंगत है, सांख्यिकी अधिकारी या समुचित सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण या व्यक्ति को, इस निमित्त की प्राप्ति पर, प्रस्तुत करेगा ।

(2) यथास्थिति समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी, अधिनियम के अधीन आंकड़ों के संग्रहण के लिए अपेक्षित सहायता की प्रकृति का विशेष उल्लेख करते हुए, केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य शासन या किसी स्थानीय शासन के किसी विभाग को पत्र लिख सकता है तथा ऐसे पत्र की प्राप्ति पर, उक्त विभाग यथासाध्य आवश्यकता की पूर्ति करेगा ।

(3) विक्षुब्ध क्षेत्रों में आंकड़ों के संग्रहण की दशा में, पुलिस अर्द्ध सैन्य बलों और सैन्य बलों द्वारा संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को ऐसी सहायता प्रदान की जाएगी जो वह आवश्यक समझे ।

11. **सूचना देने का कर्त्तव्यः-** अधिनियम की धारा 6 के उपबंधों के अधीन रहते हुए,

(1) प्रत्येक सूचनादाता को अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण से संबंधित अपने आधिपत्य में लेखा पुस्तकों, वाउचरों, दस्तावेजों, अथवा कारोबार से जुड़े अन्य अभिलेख अथवा व्यक्तिगत अभिलेख अथवा दस्तावेजों के मांगे जाने पर सांख्यिकी अधिकारी अथवा ऐसे व्यक्ति को प्रस्तुत करने होंगे जो लिखित रूप में सांख्यिकी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो तथा उसके द्वारा उसे फोटो पहचान-पत्र जारी किया गया हो, तथा यथास्थिति सांख्यिकी अधिकारी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति, ऐसे अभिलेख एवं दस्तावेजों के सारांश ले सकेगा; और

(2) प्रत्येक कुटुम्ब का मुखिया आश्रितों सहित परिवार के सदस्यों के नाम और संख्या, अन्य विशिष्टियां, अभिलेख और यथापेक्षित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए अथवा प्रस्तुत करवाने के लिए दायी होगाः

परंतु यह कि जहां तक अनाथालयों, वृद्ध आश्रमों तथा पागलखानों जैसी संस्थाओं के निवासियों का संबंध है, अपेक्षित विवरण, अभिलेख तथा दस्तावेज उपलब्ध करने अथवा करवाने का दायित्व संस्था के प्रमुख का होगा ।

12. आउटसोर्सिंग के लिए सामान्य नियम, शर्तें एवं रक्षोपाय- किसी भी व्यक्ति अथवा अभिकरण अथवा कंपनी अथवा संगठन अथवा संगम द्वारा अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण हेतु प्रत्येक संविदा अथवा व्यवस्था निम्नलिखित नियम, शर्तों तथा रक्षोपाय के अध्यधीन होगी, अर्थातः-

(क) आउटसोर्सिंग की व्यवस्था औपचारिक तथा व्यापक लिखित अनुबंध के अध्यधीन होगी;

(ख) कार्य जिनका विनिश्चय तथा प्रवर्तन अधिनियम के अधीन समुचित सरकार द्वारा किया जाना है, को आउटसोर्स से नहीं किया जाएगा;

(ग) समुचित सरकार अथवा उस सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत सांख्यिकी अधिकारी को आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाता के परिसर अथवा कार्य स्थल की सूचना तथा कार्यस्थल का निरीक्षण करने अथवा इसका आदेश देने का अधिकार होगा तथा असंतोषजनक कार्यनिष्पादन के मामले में संविदा रद्द करने का अधिकार होगा ;

(घ) सांख्यिकी संग्रहण से जुड़े प्रत्येक अभिकरण को सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति अथवा अभिकरण को वह समस्त सहायता तथा

मदद देनी होगी तथा वैसी सूचना प्रदान करनी होगी जो वह उसके कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित हो, तथा निरीक्षण एवं जांच के लिए आवश्यकतानुसार जो भी अभिलेख, योजना तथा अन्य दस्तावेज अपेक्षित हो, वह उपलब्ध कराएं ;

(ड.) किसी अभिकरण द्वारा सांख्यिकी संग्रहण के कार्य में नियुक्त व्यक्तियों को अभिकरण की बाध्यता के बारे में अवगत कराया जाना चाहिए, तथा ऐसे व्यक्ति को संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को प्रारुप-। में लिखित वचनबंध देगें कि वे अपने नियोजन के कर्तव्य निष्पादन अथवा सिवाए संविदा बाध्यता के व्यक्तिगत सूचना को एक्सेस नहीं करेंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, उसका प्रकटन नहीं करेंगे अथवा उसे अपने पास नहीं रखेंगे; साथ ही,उन्हें अवगत कराया गया है कि अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों का अनुपालन न करना एक अपराध होगा जिसके लिए वे अधिनियम के उपबंधों के अधीन शास्ति के दायी होंगे ;

(च) सांख्यिकी संग्रहण से संबंधित किसी भी कार्यकलाप से जुड़ा प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम के उपबंधों तथा इन नियमों से बाध्य होगा, तथा इसका अतिक्रमण होने पर वह अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होगा ;

(छ) सूचना के प्रकटन से संबंधित उपबंध और धारा 9,धारा 10, धारा 11, धारा 12,धारा 13 और धारा 14 के अधीन उसके प्रयोग पर निर्बधन तथा यह नियम संविदा में उपबंधित सांख्यिकी के संग्रहण की अवधि के दौरान प्रभावी होंगे और यथास्थिति संविदा की समाप्ति या पूरा होने पर भी प्रभावी रहेंगे ।

(ज) किसी शिकायत के प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी तुरंत सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित अभिकरण को शिकायत के केवल उन ब्यौरों की संसूचना देगा जो करार भंग का या किसी भावी करार भंग को न्यूनतम करने या अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना करने में या इन नियमों की अनुपालना करने में असफलता का निवारण करने के लिए आवश्यक हो ;

(झ) सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित कोई अभिकरण यदि किसी सूचनादाता से कोई शिकायत प्राप्त करता है तो इसकी सूचना तुरंत यथा अपेक्षित समुचित सरकार या संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को देगा ;

( ) खंड (ज) अथवा खंड (झ) के अधीन शिकायत प्राप्त होने पर समुचित सरकार अथवा सांख्यिकी अधिकारी अभिकरण को यथा अपेक्षित निदेश देगा; तथा

(ट) सांख्यिकी अधिकारी और सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य पूरा होने पर सभी अभिलेखों और दस्तावेजों को सौंपेगा और समुचित सरकार या इस प्रयोजन के लिए उस सरकार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा ।

13. **व्यक्तिगत सूचना के प्रयोग पर निर्बधन-** सांख्यिकी संग्रहण में नियोजित प्रत्येक अभिकरण युक्तियुक्त उपाय करेगी ताकि यह सुनिश्चय किया जा सके कि-

(क) वैयक्तिक सूचना अप्राधिकृत पहुंच, प्रकटन या अन्य दुरुपयोग से संरक्षित है ;

(ख) अभिकरण वैयक्तिक सूचना का उपयोग विनिर्दिष्ट संविदा के अधीन अपनी बाध्यताओं को पूरा करने के लिए करती है ;

(ग) समान सूचनादाताओं के सेट से पुनरावृर्तिक सांख्यिकी सर्वेक्षणों की दशा में अभिकरण पहले से ही संग्रहित वैयक्तिक सूचना का प्रयोग साक्षात्कार के लिए या अन्यथा सूचनादाताओं से संपर्क स्थापित करने के लिए करता है ; और

(घ) अभिकरण द्वारा प्रसंस्करण के लिए वैयक्तिक सूचना का प्रयोग पर्याप्त सुरक्षा जांच के साथ करता है ।

14. **सूचनादाताओं के किसी भी परिसर में प्रवेश का अधिकारः-** सांख्यिकी अधिकारी अथवा उसके द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत तथा उसके द्वारा जारी फोटो पहचान पत्र रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम के अधीन सांख्यिकी संग्रहण के प्रयोजन के लिए आंकड़ा संग्रहण की अवधि के दौरान अथवा इसके संबंध में अभिलेखों तथा दस्तावेजों के निरीक्षण एवं जांच के लिए किसी भी दिन 10.00 बजे से 17.00 बजे के दौरान अथवा दोनों पक्षों द्वारा आपसी सहमति के अनुसार तय समय पर सूचनादाता के परिसर के उस भाग में जहां सामान्यतः आगंतुक अथवा अतिथि आते-जाते हैं अथवा सूचनादाता द्वारा सुझाये गए स्थान पर प्रवेश का अधिकार होगा ।

15. **शिकायतों का प्रसंस्करण-(1)** किसी **सूचनादाता द्वारा** अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए अभिकथित अपराधों की दशा में सांख्यिकी अधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे सूचना में विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त अवधि के दौरान हेतुक दर्शित करने के लिए लिखित में सूचना जारी कर सकता है कि अधिनियम के अधीन अभिकथित अपराध करने के लिए क्यों न उसके विरुद्ध अभियोजन लाया जाए ।

(2) सांख्यिकी अधिकारी, उप नियम (1) के अधीन जारी की गई सूचना के अनुसरण में सूचना प्रदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करेगा और स्वयं का समाधान करने वाले कारणों को लिखित में अभिलिखित करने के पश्चात् सूचना प्रदाता पर अभियोजन संस्थित करने की स्वीकृति प्रदान करेगा ।

(3) किसी सूचनादाता से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभिकथित अपराधों की दशा में, समुचित सरकार ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह उचित समझे लिखित में ऐसे व्यक्ति को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी करेगी कि अभिकथित अपराध करने के लिए क्यों न उसके विरुद्ध अभियोजन लाया जाए ।

(4) यदि समुचित सरकार उचित समझे तो इस नियम के उप-नियम (3) के अधीन जारी हेतुक दर्शित करने वाली सूचना और अभिकथित अपराधी से प्राप्त स्पष्टीकरण की प्रति, यदि कोई हो, तो, को संबंधित सांख्यिकी अधिकारी को भेज सकेगी और उस पर उसकी सिफारिशें अभिप्राप्त कर सकेगी तथा अभिकथित अपराधी के स्पष्टीकरण और सांख्यिकी अधिकारी की सिफारिश पर विचार करने के बाद निर्णय ले सकेगी ।

16. **डाटा और अभिलेखों का भण्डारण-** अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुचित सरकार या उस सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ऐसे ब्यौरे प्रस्तुत करेगा जिनके माध्यम से कोई सूचनादाता अपनी सूचना में किसी अशुद्ध सूचना में शुद्धि या संशोधनों के लिए प्रज्ञापन को सुकर बना सके । अधिनियम के उपबंधों के अधीन संग्रहित सांख्यिकी का भण्डारण ऐसी रीति में करना जिससे किसी सूचनादाता से संग्रहित सूचना का प्रकटन सरल हो जाए जिससे यदि

आवश्यक हो तो सूचनादाता को सूचना तक पहुंच का उपबंध किया जा सके और सांख्यिकी के संग्रहण में नियोजित और सांख्यिकी अधिकारी और अन्य व्यक्तियों या अभिकरणों से अभिप्राप्त वचनबंध और अन्य सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना सुकर हो जाए ।

प्ररुप -I

[नियम 7 (2), 9 (iii), 12 (ड.) देखें]

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) के उपबंधों अधीन सांख्यिकी संग्रहण के लिए किसी क्षमता में नियोजित सांख्यिकी अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा वचनबंध

मैं ---------- (पूरा नाम), ----------जिसकी जन्म की तारीख पुत्र/पुत्री/पत्नी---------- (व्यक्ति का नाम) , निवासी- ---------- (पता) सत्यनिष्ठा से वचन देता हूं /देती हूं कि सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (2009 का 7) (अधिनियम की धारा 3 के अधीन निदेश) तथा सांख्यिकी संग्रहण नियम, 2011 के अधीन ---------- सांख्यिकी संग्रहण के मामले में समानुदेशित जिम्मेदारी---------- ---------- (कार्य की प्रकृति) को स्वीकार करता/करती हूं तथा मैं किसी सूचनादाता की व्यक्तिगत जानकारी को अपने पास नहीं रखूंगा/रखूंगी और उसका उपयोग नहीं करूंगा/करूंगी और न ही उसका प्रकटन करूंगा/करूंगी । उसकी व्यक्तिगत सूचनाओं का उपयोग केवल अपने कर्तव्य के निर्वहन और सांख्यिकी के संग्रहण के संबंध में संविदा की शर्तों के अनुसार करूंगा/करूंगी, और यदि मैं अधिनियम के उपबंधों का अतिक्रमण करता पाया जाता/जाती हूं तो मैं अधिनियम के उपबंधों के अनुसार शास्ति का दायी होऊंगा/होऊंगी ।

स्थानः----------

तारीख----------

सांख्यिकी संग्रहण के लिए
किसी क्षमता में नियोजित व्यक्ति
अथवा सांख्यिकी अधिकारी के हस्ताक्षर

प्ररूप -II
(नियम 8 देखें)

सांख्यिकी अधिकारियों के रजिस्टर का अनुरक्षण
समुचित सरकार द्वारा किया जाना

1. सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 की धारा 3 के अधीन जारी किए गए निदेशों के ब्यौरे दें

2. निदेश देने वाली समुचित सरकार का नाम और पताः

3. उपर्युक्त निदेशों के अधीन सांख्यिकी संग्रहण के लिए नियुक्त किए गए सांख्यिकी अधिकारियों का ब्यौराः

क्र.सं.	सांख्यिकी अधिकारी का नाम	स्थायी पता	सांख्यिकी संग्रहण में शैक्षिक योग्यताएं, और अनुभव, यदि कोई हो	भौगोलिक इकाई जिसके लिए नियुक्ति और नियुक्ति की अवधि	अधिनियम की धारा 4 (4) और (6) के अधीन शक्तियों का प्रत्यायोजन, यदि कोई हो
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

नियुक्ति की तारीख	नियुक्ति की समाप्ति की तारीख
(7)	(8)

स्थानः——————————————
तारीख——————————————

सांख्यिकी अधिकारियों के अभिलेख के
अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार अधिकारी के
हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मोहर

[फा. सं. एम-15011/1/2007-प्रशा. III]

प्रो. टी. सी. ए. अनंत, सचिव